



छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल मुख्यालय शंकर नगर रायपुर

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़

www.cghb.gov.in

!! संपदा प्रबंधन !!

परिपत्र

क्रमांक.....⁷⁷⁸...../2015

दिनांक 22/12/2015


विषय:-छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के स्ववित्तीय योजनांतर्गत भवन आबंटियों को बकाया राशि जमा करने पर विलंबित अवधि ब्याज में छूट।

--000--

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा वृहद स्तर पर आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है। मुख्यतः मण्डल के द्वारा स्ववित्तीय योजना अंतर्गत ही भवनों का आबंटन किया गया है। मण्डल के अनेक आबंटी विभिन्न कारणों से समय पर भवनों कि किश्तों की राशि का भुगतान नहीं कर पाये जिसके कारण स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत विलंबित अवधि का ब्याज भारित किया जा रहा है। इससे बकायादारों के विरुद्ध अवशेष राशि लगातार बढ़ रही है। एक ओर तो आबंटी अवशेष राशि जमा करने में विफल हो रहे हैं दूसरी ओर मण्डल की वसूली योग्य राशि अवरुद्ध होने से वित्तीय तरलता पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

मण्डल सम्मिलन से अनुमोदन की प्रत्याशा में मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक-673/2015 दिनांक 07.11.2015 द्वारा वर्तमान तक की अवशेष किश्तों की संपूर्ण राशि हितग्राहियों द्वारा एक बार में जमा करने पर विलंबित अवधि के ब्याज राशि पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करने आदेशित किया गया है। यह छूट दिनांक 15 दिसम्बर 2015 तक प्रभावशील है।


छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 49वें मण्डल सम्मिलन दिनांक 11.12.2015 की पद संख्या-16 संकल्प क्रमांक 1357-16/49/12/2015 द्वारा सर्वसम्मति से विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 31.12.2015 तक पूर्ण अवशेष राशि जमा होने पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा की गयी कार्यवाही की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल 22/12
रायपुर

पु.क्र. २४५६/आ.आ./स.प्र.शा./मुख्या/फा.नं.- /15 रायपुर, दिनांक २२/१२/२०१५

प्रतिलिपि:-

1. स्टॉफ ऑफिसर मान. अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
3. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त/आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय नया रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
5. निज सचिव, आयुक्त महोदय, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
6. आयुक्त सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
7. क्षेत्रीय प्रमुख, हडको, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
8. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायपुर तथा सदस्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर।
9. अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
11. मुख्य संपदा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
12. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय, रायपुर।
13. उपायुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, वृत्त-रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर।
14. प्रशासकीय अधिकारी छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
15. संपदा अधिकारी/लेखा अधिकारी, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
16. संपदा अधिकारी, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-01/02/03, रायपुर /दुर्ग/जगदलपुर/बिलासपुर/रायगढ़/कोण्डागांव/अंबिकापुर/कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
17. कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल संभाग-1,2,3,4 रायपुर/राज.परि. संभाग-1,2, रायपुर/संभाग-दुर्ग/परियोजना.संभाग-दुर्ग/राजनांदगांव/कोरबा/रायगढ़/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर/कोण्डागांव/विद्युत संभाग-01,02,03 रायपुर।
18. आई.टी.शाखा, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर।
19. आदेश नस्ती/गार्ड फाईल।


आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
रायपुर
२२/१२